



न्यायालय श्री प्रवीर कुमार(अध्यक्ष), श्री एन० एस० रवि, मा० सदस्य (प्रशासनिक), श्री आमोद कुमार मा० सदस्य(न्यायिक)
 (बेंच 5) , राजस्व परिषद, 30प्र०, लखनऊ
 वाद संख्या:- REV/2126/2016/मुरादाबाद
 पंकज सरीन आदि बनाम उपजिलाधिकारी बिलारी आदि
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-R20161354002126
 अंतर्गत धारा:- 219, अधिनियम :- 30प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901
 आदेश तिथि:- 29/01/2018

बहस की तिथि-----19.09.2017 व 29.01.2018

वादी के अधिवक्ता-----1. श्री सुनील अवस्थी एड०
 2. श्री और०ए० उपाध्याय एड०
 3. श्री बी०एल० शक्ला एड०
 4. श्री संतोष त्रिपाठी एड०
 5. श्री राकेश कुमार वर्मा एड०
 6. श्री संजय कुमार सिंह एड०
 7. श्री वीरेन्द्र उपाध्याय एड०
 8. श्री अजय कुमार मौर्य एड०
 9. श्री राजवर्धन चौधरी एड०

प्रतिवादी के अधिवक्ता----1. श्री एस०डी० भारती, शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)
 2. श्री सतीश कुमार त्यागी एड०
 3. श्री शिव कुमार सिंह एड०
 4. श्री प्रदीप कुमार तिवारी एड०
 5. श्री शेखर श्रीवास्तव एड०
 6. श्री के०एन० पाण्डेय एड०

आदेश

यह निगरानी धारा-219, 30प्र० भू-राजस्व अधिनियम 1901 के तहत उपजिलाधिकारी बिलारी द्वारा वाद सं०-159 धारा-33/39 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2006 के विरुद्ध योजित की गयी है।

राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 18.08.2017 के द्वारा प्रकरण को वृहद पीठ के समक्ष विचारार्थ संदर्भित किया गया है।

राजस्व न्यायालय मैनुअल के पैरा 170अ के तहत प्रकरण को संदर्भित करते हुए वृहद पीठ के समक्ष निम्न वाद बिन्दु निर्णयन हेतु निर्धारित हुए हैं:-

(1) क्या असंक्रमणीय भूमिधरी पट्टे व आसामी पट्टे के निरस्तीकरण/समापन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एक समान होगी अथवा भिन्न।

(2) क्या 30प्र० ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-132 की भूमि पर कभी भी किसी आसामी पट्टेदार अथवा अन्य व्यक्ति के भूमिधरी अधिकार सृजित हो सकते हैं अथवा नहीं। यदि ऐसी भूमि पर भूमिधरी अधिकार कभी सृजित ही नहीं हो सकते तो क्या ऐसे व्यक्ति को हितबद्ध पक्षकार माना जा सकता है अथवा नहीं।

(3) क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के क्रम में केवल हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है अथवा ऐसे पक्षकारों को भी सुना जाना अनिवार्य है जिनका प्रश्नगत भूमि में कभी भी स्थाई स्वत्व/हित सृजित ही नहीं हो सकता व जिनका अस्थाई हित पट्टे की समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त समाप्त हो चुका है।



(4) क्या आसामी पट्टेदार के पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त उसकी हैसियत अतिक्रमणकर्ता की होगी और यदि हां तो उसकी भूमि से बेदखली की प्रक्रिया क्या होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में वृहद पीठ द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं एवं उपस्थित अन्य गणमान्य अधिवक्ताओं की बहस को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक ने उपजिलाधिकारी बिलारी को दिनांक 20.06.2006 को इस आशय की आख्या प्रस्तुत की कि ग्राम रुस्तमनगर सहसपुर, परगना व तहसील बिलारी की खतौनी वर्ष 1413फ0-1418फ0 के खाता सं0-718 व गाटा सं0-125क/0.405, 140/0.093 क्षेत्रफल 2कि0/0.498 पर प्रेमनरायन सरीन पुत्र लक्ष्मीनरायन निवासी ग्राम रुस्तमनगर सहसपुर का नाम आसामी पट्टेदार श्रेणी-3 के रूप में दर्ज है तथा इनकी आसामी के रूप में निर्धारित अवधि 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है। परिषदादेश सं0-4063/5-34ए106 दिनांक 19.06.2006 के अनुसार 5 वर्ष से अधिक अवधि तक दर्ज आसामी पट्टेदारों की प्रविष्टि खतौनी में दर्ज नहीं रह सकती। अतः उक्त भूमि से उपरोक्त व्यक्ति का नाम उपरोक्त खाता खतौनी से निरस्त कर गांवसभा की सम्पत्ति श्रेणी 6(1) तालाब के खाते में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाय।

उक्त आख्या को नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने उपजिलाधिकारी को संस्तुति सहित सम्प्रेषित किया। वाद दर्ज रजिस्टर कर उपजिलाधिकारी बिलारी ने आख्या के अनुसार आसामी पट्टेदार का नाम निरस्त कर सम्पत्ति को ग्रामसभा में निहित कर मूल श्रेणी में दर्ज करने का आदेश दिनांक 30.06.2006 पारित कर दिया।

निगरानीकर्ता का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित भूमि उनके पिता को पट्टे के द्वारा प्राप्त हुई थी, तब से लगातार उनका नाम दर्ज चला आ रहा है तथा चकबंदी फॉर्म 41 व 45 में भी उनके पिता प्रेमनरायन का नाम दर्ज है और बराबर वह कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, परन्तु हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार की आख्या के आधार पर उपजिलाधिकारी ने बिना उनको नोटिस दिये तथा बिना उनके पक्ष को सुने ही उनके पक्ष में दर्ज प्रविष्टि को एकपक्षीय रूप से निरस्त कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। मा0 उच्च न्यायालय ने अनेकों विधि व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था दी है कि प्रभावित पक्षकार/दर्ज खातेदार को बिना नोटिस दिये तथा बिना उसके पक्ष को सुने ही उसके पक्ष में अंकित प्रविष्टि को निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार की जाय तथा उपजिलाधिकारी बिलारी द्वारा पारित अवक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2006 विधि-विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाय।

प्रतिवादी की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) का मुख्य रूप से यह कथन है कि आसामी पट्टेदार को भूमि 5 वर्ष के लिए पट्टे पर आवंटित की जाती है, जिसकी समय सीमा निर्धारित है। आसामी पट्टे की अधिकतम 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर स्वयं पट्टेदार को कब्जा हटा लेना चाहिए था, परन्तु उसके द्वारा अनाधिकृत रूप से आसामी पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपना कब्जा नहीं हटाया गया। चूंकि आसामी पट्टेदारों को एक निश्चित अवधि के लिए ही पट्टे प्रदान किये जाते हैं, इसलिए निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त उन्हें नोटिस देने अथवा उनके पक्ष को सुने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 1950 की धारा-132 के अनुसार श्रेणी-6(1) की भूमि पर किसी प्रकार के भूमिधारी अधिकार उत्पन्न ही नहीं हो सकते। उपजिलाधिकारी ने आसामी पट्टेदार का नाम निरस्त कर प्रश्नगत भूमि को उसकी मूल श्रेणी में दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्षों व अन्य गणमान्य अधिवक्ताओं की बहस को सुना गया व लिखित बहस प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया गया। परन्तु किसी भी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी। सभी सम्बन्धित को सुनने के उपरान्त विचारण हेतु संदर्भित किये गये वाद बिन्दुओं के सम्बन्ध में विधिक स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है:-

वाद बिन्दु सं0-1

(1) क्या असंक्रमणीय भूमिधारी पट्टे व आसामी पट्टे के निरस्तीकरण/समापन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एक समान होगी अथवा भिन्न।

आसामी को धारा 133 जमींदारी विनाश अधिनियम में निम्नवत् परिभाषित किया गया है:-



133- आसामी-निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आसामी कहलायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आसामी को दिये गये हों, या उस पर लगाये गये हों; अर्थात्-

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो आस्थानों के हस्तगतीकरण के परिणामस्वरूप धारा 11, 13 और 21 के अन्तर्गत आसामी हो जाये;

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे 30 प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के पूर्व किसी भूमिधर या सीरदार ने, या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमिधर ने अपनी जोत में शामिल भूमि को पट्टे पर उठा दी है;।

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे निहित होने के दिनांक पर या तत्पश्चात् भूमि प्रबन्धक समिति या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का अधिकार हो धारा 132 में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दी हो; और

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के निदेशों के अधीन किसी अन्य रीति से आसामी के अधिकार प्राप्त कर ले।

ग्राम सभा में निहित भूमि के पट्टे पर व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 195 व 197 में प्राविधानित की गयी है। धारा 132 में निहित किसी भूमि को छोड़कर ग्राम सभा में निहित कृषि योग्य बंजर भूमि को अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में पट्टे पर दिये जाने का निम्न प्राविधान है:-

195- भूमि का उठाया जाना- भूमि प्रबन्धक समिति को। परगना के इन्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से अधिकार होगा कि किसी भूमि में धारा 132 में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग में आने वाली भूमि को छोड़ कर किसी व्यक्ति को असंक्रम्य अधिकारों वाले भूमिधर के रूप में उठा दे, यदि-

- (क) भूमि खाली भूमि हो,
- (ख) भूमि धारा 117 के अधीन ग्राम सभा में निहित हो, या
- (ग) भूमि धारा 194 के या इस अधिनियम के किसी दूसरे निदेश के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आ गई हो।

ग्राम सभा में निहित धारा 132 में शामिल किसी भूमि के आसामी पट्टे पर व्यवस्थापन का प्राविधान धारा 197 में किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु धारा 132 व 197 को उद्धृत किया जा रहा है:-

132- वह भूमि जिसमें [भूमिधरी] अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे- धारा-131 में किसी बात के रहते हुए भी किन्तु धारा 119 के निदेशों को बाधित न करते हुए निम्नलिखित भूमि में [भूमिधरी] अधिकार प्राप्त नहीं होंगे-

(क) पशुचर भूमि या ऐसी भूमि, जिस पर पानी हो, और जो सिंचाई या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो,

(ख) अस्थिर या अस्थायी खेती के ऐसे भूखण्ड, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे, और

(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि वह टौंगियाँ रीति से वन लगाने के लिए अभिप्रेत या विनिर्दिष्ट है अथवा गाँव सभा या किसी स्थानिक अधिकारिकी की बाग भूमि अथवा किसी सार्वजनिक कार्य के लिए अर्जित अथवा अधिकृत भूमि और विशेषतः तथा इस खण्ड की व्यापकता पर बिना प्रभाव डाले-

- (i) फौजी पड़ाव के लिये निश्चित भूमियाँ,
- (ii) रेल अथवा नहर की सीमाओं के अन्दर की भूमियाँ,
- (iii) किसी कैन्टनमेन्ट की सीमाओं के अन्दर की भूमियाँ,
- (iv) कच्ची खाद के क्षेत्र तथा खत्ता भूमि में सम्मिलित भूमियाँ जिनका इसी स्थिति से स्वामित्व स्थानिक अधिकारिकी में हो,

(v) यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1919 की धारा 42 के अधीन स्वीकृत योजना के अनुसार किसी टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अर्जित भूमियाँ अथवा यू० पी० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 8 के खण्ड (क)



अथवा (ग) में उल्लिखित प्रयोजन के निमित्त नगरपालिका द्वारा अर्जित भूमियाँ और

(vi) 30 प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट भूमियाँ।

197- धारा 132 में उल्लिखित भूमि का उठाया जाना-(1) भूमि प्रबन्धक समिति को (परगने के इन्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर) की पूर्व स्वीकृति से अधिकार होगा कि धारा 132 में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग की भूमि किसी व्यक्ति को आसामी के रूप में उठा दे, यदि

(क) भूमि खाली भूमि हो,

(ख) भूमि, भूमि प्रबन्धक समिति में निहित हो, या

(ग) भूमि, धारा 194 के या इस अधिनियम के किसी दूसरे निदेश के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आ गयी हो।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के होते हुए किसी व्यक्ति को आसामी के रूप में कोई तालाब, पोखर या जल से घिरी हुई अन्य भूमि उठाने का अधिकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगा।

धारा 132 के अंतर्गत शामिल उपरोक्त भूमि के आसामी पट्टे पर व्यवस्थापन की प्रक्रिया नियम 176क उ.प्र.जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952 में निम्नवत् दी गयी है:-

“नियम 176-क(1) परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर की आज्ञा सहित ज० वि० आकार-पत्र 57-ख में सूची के प्राप्त होने पर भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष उन व्यक्तियों को बुलायेगा जिनके चयन का अनुमोदन भूमि के आवंटन (allotment) के सम्बन्ध में परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर द्वारा कर दिया गया है और उन्हें ज० वि० आकार-पत्र 58 में एक प्रमाण-पत्र देगा और उनसे ज० वि० आकार-पत्र 58-क में उसका प्रतिरूप निष्पादित करायेगा। यदि आवंटन की जाने वाली भूमि धारा 132 में अभिदिष्ट भूमि हो तो सम्बद्ध व्यक्ति को ज० वि० आकार-पत्र 59 में एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा और उससे ज० वि० आकार-पत्र 59-घ में प्रतिरूप निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी आसामी को पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा नहीं दिया जायेगा।”

इस प्रकार स्पष्ट है और जैसा कि उ० प्र० ज० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधि० 1950 की धारा-132 के शीर्षक में ही स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, इस धारा से आच्छादित भूमि पर भूमिधारी अधिकार कभी उत्पन्न/सृजित हो ही नहीं सकते। इस धारा (132) से आच्छादित भूमि का धारा-197 संप्रतिष्ठित नियम 176क उ.प्र.जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952 के अनुसार आसामी पट्टेदारों के पक्ष में एक निश्चित अवधि (अधिकतम 5 वर्ष) हेतु अस्थाई व्यवस्थापन मात्र किया जा सकता है।

जहां तक आवंटन/पट्टा निरस्तीकरण का प्रश्न है, उ.प्र.जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 व उ.प्र.जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952 में इस हेतु निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

(i) आवंटन में अनियमितताओं की शिकायत सिद्ध पाये जाने पर धारा 198(4) के अंतर्गत पट्टा निरस्त किया जा सकता है। धारा 198(4) में निम्न प्राविधान है:-

198(4) [कलेक्टर] भूमि के किसी आवंटन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदनपत्र पर ऐसे आवंटन के सम्बन्ध में नियत रीति से जांच करेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसी जांच कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाये कि आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन और पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है।

(ii) इसी प्रकार धारा 132 में शामिल किसी भूमि, जिसका व्यवस्थापन नियम 176क(1) के अन्तर्गत किया गया हो, को उक्त नियम 176क(2) के अंतर्गत निरस्त किये जा सकने का निम्न प्राविधान है:-

“(2) परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह किसी भी समय किसी आसामी के पक्ष में पट्टे को समाप्त कर दे और इस प्रकार पट्टा समाप्त कर दिये जाने पर आसामी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।”

(iii) यदि नियम 176क(1) में किये गये व्यवस्थापन पट्टे की अवधि पूर्ण किये जाने के बाद भी किसी व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा है तो ऐसे इन्द्राज को धारा 33/39 भूराजस्व अधिनियम के अंतर्गत हटाया जा सकता है ;



(IV) यदि आवंटित भूमि का प्रयोग आवंटन से भिन्न प्रयोजन में किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति की बेदखली धारा 206 जमींदारी विनोश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है।

अतः वाद बिन्दु संख्या-1 उपरोक्तानुसार उत्तरित/निर्णीत किया जाता है। तीनों स्थितियों में पट्टा समाप्त होने पर आवंटित भूमि ग्राम सभा के स्वामित्व में पूर्ववत् आ जायेगी और मौके पर कब्जा लेने व अवैध कब्जाधारक से ज़ुर्माना वसूलने की कार्यवाही धारा 122बी/नियम 115सी उ.प्र.जमींदारी विनोश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952 के अंतर्गत की जायेगी।

वाद बिन्दु सं0-2 व 3

(2) क्या उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-132 की भूमि पर कभी भी किसी आसामी पट्टेदार अथवा अन्य व्यक्ति के भूमिधरी अधिकार सृजित हो सकते हैं अथवा नहीं। यदि ऐसी भूमि पर भूमिधरी अधिकार कभी सृजित ही नहीं हो सकते तो क्या ऐसे व्यक्ति को हितबद्ध पक्षकार माना जा सकता है अथवा नहीं।

(3) क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के क्रम में केवल हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है अथवा ऐसे पक्षकारों को भी सुना जाना अनिवार्य है जिनका प्रश्नगत भूमि में कभी भी स्थाई स्वत्व/हित सृजित ही नहीं हो सकता व जिनका अस्थाई हित पट्टे की समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त समाप्त हो चुका है।

जैसा कि उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 1950 की धारा-132 के शीर्षक में ही स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, धारा-132 से आच्छादित भूमि पर भूमिधरी अधिकार कभी उत्पन्न/सृजित हो ही नहीं सकते। अतः जिन आसामी पट्टेदारों को धारा-197 के अन्तर्गत धारा-132 से आच्छादित भूमि का आवंटन किया गया है, उसे केवल अस्थाई व्यवस्थापन मात्र ही माना जायेगा तथा ऐसे आसामी पट्टेदारों [धारा-133(ग) एवं धारा-197 के अधीन पट्टा प्राप्त करने वाले आसामी] को केवल पट्टे की अवधि के दौरान अस्थाई अधिकार ही प्राप्त हो सकेंगे। पट्टे की अवधि (अधिकतम 5 वर्ष) समाप्त हो जाने के बाद उनके यह अस्थाई अधिकार भी स्वतः समाप्त हो जायेंगे। जब भूमिधरी अधिकार कभी भी सृजित हो ही नहीं सकते तो ऐसे व्यक्ति को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अतः धारा-197 के अन्तर्गत आवंटन प्राप्त ऐसे आसामी पट्टेदार जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जाना चाहिए।

जहां तक प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धान्त के अनुसार धारा-197 के अन्तर्गत आवंटन प्राप्त आसामी पट्टेदार, जिनके पट्टे की अवधि पूर्ण हो चुकी हो, को सुनवाई का अवसर दिये जाने का बिन्दु है, यद्यपि पट्टे की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त ऐसे आसामी पट्टेदारों के अस्थाई हित भी समाप्त हो चुके हैं, परन्तु फिर भी न्यायहित में यह ज्ञात किया जाना आवश्यक है कि

- (i) आसामी पट्टे की अवधि कब समाप्त हुई ?
- (ii) क्या कभी किसी सक्षम स्तर से आसामी पट्टे का नवीनीकरण किया गया ?
- (iii) जो आसामी पट्टा किया गया था वह धारा-133(ग) के अधीन किया गया था अथवा किसी अन्य प्रावधान के अधीन ?

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सम्बन्धित आसामी पट्टेदार, जिसका नाम खतौनी में दर्ज चला आ रहा है, को न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित होगा, परन्तु यदि समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से आसामी पट्टे की प्रकृति व समयावधि के सम्बन्ध में उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो सम्बन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकता है।

वाद बिन्दु सं0-4

(4) क्या आसामी पट्टेदार के पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त उसकी हैसियत अतिक्रमणकर्ता की होगी और यदि हां तो उसकी भूमि से बेदखली की प्रक्रिया क्या होगी।

उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-133 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस आसामी पट्टेदार को उक्त अधिनियम की धारा-133(क), (ख) अथवा (घ) के अन्तर्गत आवंटन किया गया है, यदि



निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त आसामी पट्टेदार द्वारा आवंटित भूमि को खाली करके उसका कब्जा सम्बन्धित भूमिधरे/सीरदार को नहीं सौंपा जाता है तो उस भूमिधर/सीरदार द्वारा उ०प्र० ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधि० 1950 की धारा-202 के अन्तर्गत आसामी पट्टेदार के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। सम्बन्धित भूमिधर/सीरदार द्वारा धारा-202 के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा-204 के अन्तर्गत आसामी पट्टेदार को असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं।

परन्तु यदि आसामी पट्टेदार को उ०प्र० ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधि० की धारा-133(ग) एवं धारा-197 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा-132 से आच्छादित भूमि आसामी पट्टेदार के रूप में आवंटित की गयी है, तो ऐसे आसामी पट्टेदार को आवंटित भूमि पर कभी भी किसी प्रकार के भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे पट्टे की निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि पर आसामी पट्टेदार का कब्जा अवैध अध्यासन माना जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति का दर्जा एक अतिक्रमणकर्ता का ही होगा और उसके विरुद्ध ग्राम सभा द्वारा उ०प्र० ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधि० 1950 की धारा-122(ख) [राजस्व संहिता 2006 की धारा-67] के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जानी चाहिए।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं एवं उपस्थित अन्य गणमान्य अधिवक्ताओं को सुनने तथा उपरोक्त विवेचना के उपरान्त वृहद् पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपजिलाधिकारी, बिलारी ने अवक्षेपित आदेश बिना निगरानीकर्ता को नोटिस दिये एवं बिना उसके पक्ष को सुने पारित किया है जिससे प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का हनन हुआ है। उपजिलाधिकारी के आदेशों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं है कि (i) उक्त आसामी पट्टे की अवधि कब समाप्त हुई ? (ii) क्या कभी उसका नवीनीकरण किया गया ? तथा (iii) आवंटन धारा-197 के अधीन किया गया था या किसी अन्य प्रावधान के अधीन ?

दिनांक 29.01.2018 को प्रकरण की पुनर्सुनवाई के दौरान निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बिन्दु भी उठाया गया कि उपजिलाधिकारी, बिलारी द्वारा अवक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2006 को सरकार बनाम प्रेम नारायण सरीन अन्तर्गत धारा-33/39 में पारित किया गया था जबकि उक्त तिथि से पूर्व दिनांक 14.09.2004 को ही श्री प्रेम नारायण सरीन की मृत्यु हो चुकी थी जिसके प्रमाण स्वरूप श्री प्रेम नारायण सरीन का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 22.03.2005 पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उपजिलाधिकारी, बिलारी का अवक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2006 मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित होने के आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्तागण द्वारा पीठ का ध्यान 2001 (1) आर०एल०टी० (बी०आर०) 25 राजेन्द्र आदि बनाम उपजिलाधिकारी बिलारी, 2012(4) आर०डी० (SH) 58 राम भवन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित राजस्व परिषद के आदेशों एवं 2008 आर०एल०टी० 71 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सतीश चन्द्र शर्मा आदि में पारित राजस्व परिषद की वृहद् पीठ के आदेश की ओर भी आकृष्ट किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि न्यायहित में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आलोक में निगरानी स्वीकार की जाती है तथा उपजिलाधिकारी, बिलारी द्वारा पारित अवक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2006 निरस्त किया जाता है तथा वाद उपजिलाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए व आसामी पट्टे की प्रकृति व समयावधि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार पुष्टि करते हुए यथासम्भव तीन माह के भीतर वाद का गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रतियों सहित अवर न्यायालय का अभिलेख यथाशीघ्र वापस भेज दिया जाय।

यदि इस न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है, तो उसे समाप्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो।

(आमोद कुमार)
सदस्य (न्यायिक)
29.01.2018

(एन० एस० रवि)
सदस्य
29.01.2018

(प्रवीर कुमार)
अध्यक्ष
29.01.2018